ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2025-2026)

**33**

अठारहवीं लोक सभा

पंचायती राज मंत्रालय

# पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की समीक्षा

तैंतीसवाँ प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते


लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

**तैंतीसवाँ प्रतिवेदन**

**ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति**
**(2025-2026)**

**(अठारहवीं लोक सभा)**

**पंचायती राज मंत्रालय**

# पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की समीक्षा

**31.07.2026 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।**

**31.07.2026 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।**

**लोक सभा सचिवालय**
**नई दिल्ली**
**जुलाई, 2026 / श्रावण, 1948 (शक)**

सीआरडी सं. 224

*मूल्यः* .....रुपये

© 2026 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सत्रहवाँ संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ------------------------ द्वारा मुद्रित।

## विषय-सूची


| | | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| समिति की संरचना (2025-26) | | ii |
| प्राक्कथन | | iv |
| **तैतीसवाँ प्रतिवेदन** | | |
| **भाग-एक** | | |
| **व्याख्यात्मक विश्लेषण** | | |
| क. | परिचय - पंचायती राज का उद्भव | 1 |
| ख. | पेसा का अधिनियमन | 2 |
| ग. | पेसा अधिनियम 1996 के उद्देश्य | 4 |
| घ. | पेसा अधिनियम 1996 की प्रमुख विशेषताएं | 4 |
| ङ. | पेसा के अंतर्गत आरक्षण | 6 |
| च. | सामान्य पंचायती राज प्रणाली और पेसा फ्रेमवर्क के बीच अंतर | 6 |
| छ. | राज्यों में पेसा के कार्यान्वयन की स्थिति | 6 |
| ज. | राज्यों की पेसा रैंकिंग | 8 |
| झ. | पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम | 8 |
| ञ. | पेसा संबंधी उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) | 15 |
| **भाग-दो** | | |
| **टिप्पणियां/सिफ़ारिशें** | | 19 |
| **अनुबंध** | | |
| एक. | पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 | 25 |
| दो. | 31 अक्टूबर, 2025 को आयोजित समिति की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश | 28 |
| तीन. | 20 जनवरी, 2026 को आयोजित समिति की नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश | 30 |
| चार. | 08 जुलाई, 2026 को आयोजित समिति की छब्बीसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश से उद्धरण | 33 |

**ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2025-26) की संरचना**

**श्री सप्तगिरी शंकर उलाका - सभापति**

**लोक सभा सदस्य**

2. श्री भुमरे संदिपनराव आसाराम
3. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
4. श्री राजू बिष्ट
5. श्री विजय कुमार दुबे
6. डॉ. संजय जायसवाल
7. श्री भजन लाल जाटव
8. डॉ. मोहम्मद जावेद
9. श्री जुगल किशोर
10. डॉ. डी. रवि कुमार
11. श्री नव चरण माझी
12. श्री इमरान मसूद
13. श्री जनार्दन मिश्रा
14. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी
15. श्री के. राधाकृष्णन
16. श्री रमाशंकर विधार्थी राजभर
17. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह *उर्फ* पवन राजेनिंबालकर
18. श्री परषोत्तमभाई रुपाला
19. श्री देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह
20. श्री गणेश सिंह
21. श्री विवेक ठाकुर

**राज्य सभा सदस्य**

22. श्रीमती गीता *उर्फ* चन्द्रप्रभा
23. डा. एम. धनपाल
24. श्री समीरुल इस्लाम
25. डॉ. कविता पाटीदार
26. श्रीमती राजाथी
27. श्री नगेन्द्र रॉय

28. श्री संत बलबीर सिंह
29. श्रीमती पी.टी. ऊषा
30. श्री करमवीर सिंह बौद्ध
31. श्री बैद्यनाथ राम

**सचिवालय**

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्री डी. आर. शेखर | - | अपर सचिव |
| 2. श्री वी.के. शैलोन | - | निदेशक |
| 3. श्रीमती रश्मी रॉय | - | उप सचिव |
| 4. श्री सुशील कुमार | - | अवर सचिव |

**प्राक्कथन**

मैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2025-26) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर पंचायती राज मंत्रालय की 'पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की समीक्षा' से संबंधित तैतीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने 31 अक्टूबर, 2025 को हुई अपनी बैठक में पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी ली ।

3. समिति ने 20 जनवरी, 2026 को हुई अपनी बैठक में पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी ली ।

4. समिति ने 08 जुलाई, 2026 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) के अधिकारियों को विषय की जांच के संबंध में समिति द्वारा अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराने तथा अपनी सुविचारित राय व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति, इससे संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की उनके द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए सराहना करती है।

**नई दिल्ली;**
**29 जुलाई, 2026**
**07 श्रावण, 1948 (शक)**

**श्री सप्तगिरी शंकर उलाका**
**सभापति**
**ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति**

# तैतीसवाँ प्रतिवेदन

# "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की समीक्षा"

## भाग - एक

## व्याख्यात्मक विश्लेषण

### क. <u>परिचय - पंचायती राज का उद्भव</u>

1.1 जहां तक 'पंचायतों' का संबंध है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का इतिहास, संविधान में "भाग-9: पंचायत" के अंतःस्थापन के लिए वर्ष 1991 में लोक सभा में पुरःस्थापित "संविधान (बहत्तरवां) संशोधन विधेयक, 1992" से शुरू हुआ। वर्ष 1993 में, दिनांक 20-04-1993 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात उस विधेयक को "संविधान (तिहत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992" के रूप में पारित किया गया जो 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ। इस प्रकार, "संविधान (तिहत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992" के माध्यम से, भारत के संविधान में निम्नलिखित संशोधन किए गए थे-

(i) "भाग-9: पंचायत" को संविधान में अंतःस्थापित किया गया था।

(ii) संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया।

(iii) उपखंड (खख) को अनुच्छेद 280 के खंड (1) में जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

1.2 'पंचायत', स्थानीय सरकार होने के दृष्टिगत, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'सूची II: राज्य सूची' की प्रविष्टि संख्या 5 के अंतर्गत राज्य का विषय है। भाग-9 के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने संविधान (तिहत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुरूप अपने-अपने पंचायती राज कानून बनाए हैं। अतः, पंचायतों की स्थापना और संचालन संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के पंचायती राज कानूनों के अनुसार किया जाता है, जो भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं।

1.3 संविधान (तिहत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के समय, भाग-9 के उपबंध सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं थे। संविधान के अनुच्छेद 243ड के अनुसार, शुरूआत में कतिपय क्षेत्रों को भाग-9 में शामिल नहीं किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 244(1) में उल्लिखित 'अनुसूचित क्षेत्र' उन क्षेत्रों में से एक थे। संविधान के अनुच्छेद 243ड के अंतर्गत भविष्य में आवश्यकतानुसार भाग-9 में अनुसूचित क्षेत्रों को शामिल करने का भी उपबंध किया गया था ताकि उन क्षेत्रों को भी पंचायती राज प्रणाली की मुख्य धारा में लाया जा सके।

1.4 वह उपबंध संविधान का अनुच्छेद 243ड(4)(ii) है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध किया गया है कि संसद, विधि द्वारा, भाग-9 के उपबंधों का विस्तार, अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों पर, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, कर सकेगी।

1.5 वर्ष 1994 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विधि की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में सिफारिश करने के लिए संविधान के भाग-9 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने के लिए तत्कालीन संसद सदस्य श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति (भूरिया समिति के नाम से लोकप्रिय) का गठन किया था। समिति ने जनवरी, 1995 में भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

1.6 वर्ष 1996 में, संसद ने 24 दिसम्बर, 1996 को इस अधिनियम की धारा-4 में यथाउपबंधित कतिपय अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए पंचायतों के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने के लिए पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 का अधिनियमन किया। पेसा अधिनियम, 1996 के उपबंध केवल भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत 'अनुसूचित क्षेत्रों' के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों पर ही लागू होते हैं। **(अनुबंध-एक)**

1.7 यह नोट किया जाए कि "संविधान (बहत्तरवां) संशोधन विधेयक, 1992" का प्रारूप तैयार करने के दौरान पंचायतों से संबंधित मामलों का निपटान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता था, जिसे वर्ष 1974 में कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था।

1.8 मई, 2004 तक पेसा सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामलों का निपटान ग्रामीण विकास मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाता था। पंचायती राज मंत्रालय का गठन मई, 2004 में दिनांक 27.05.2004 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। तब से, पेसा सहित पंचायतों से संबंधित मामलों का निपटान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त सीओ और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दी गई जानकारी के आधार पर, पंचायती राज मंत्रालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान में, 10 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान हैं। चूंकि इन क्षेत्रों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार अधिसूचित किया गया है, इसलिए मंत्रालय ने उन्हें 'पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों' की संज्ञा दी है और यह उन 10 राज्यों के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पेसा के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

1.9 "अनुसूचित क्षेत्रों" संबंधी उत्तरदायित्व जनजातीय कार्य मंत्रालय का है, जबकि 'पेसा' संबंधी उत्तरदायित्व पंचायती राज मंत्रालय का है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका तब शुरू होती है जब किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। जब तक किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के किसी क्षेत्र को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार "अनुसूचित क्षेत्रों" के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक पेसा अधिनियम के उपबंध उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं।

**ख. <u>पेसा का अधिनियमन</u>**

1.10 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ड(4)(ख) के अनुसार, **संसद ने "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996" (जिसे पेसा अधिनियम कहा जाता है) अधिनियमित**

**किया,** ताकि संविधान के भाग-9 के उपबंधों का, कतिपय अपवादों और उपांतरणों सहित, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया जा सके।

1.11 अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित उपबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 244(1) और संविधान की 'पाँचवीं अनुसूची' में किया गया है। चूँकि ये अनुसूचित क्षेत्र संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित हैं, इसलिए इन्हें पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र कहा जाता है।

1.12 इस अधिनियम में पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान के भाग-9 के उपबंधों का संविधान की पांचवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार का उपबंध किया गया है। अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत कतिपय अपवादों और उपांतरणों का उल्लेख हैं, जिनका अनुपालन संबंधित राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायतों के उपबंधों का विस्तार करने के दौरान पेसा राज्यों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। अतः, पेसा का इतिहास दो मूलभूत पहलुओं, अर्थात् "अनुसूचित क्षेत्र" और "पंचायत" से जुड़ा हुआ है।

1.13 जहां तक "अनुसूचित क्षेत्रों" का संबंध है, उन्हें संविधान की पांचवीं अनुसूची के परिच्छेद-6 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार 'अनुसूचित क्षेत्र' पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे। ये क्षेत्र 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के पश्चात से ही इसका भाग हैं। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) यह स्पष्ट करना चाहता है कि स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात पहली बार अधिसूचित 'भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961' के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित मामलों को उस दौरान गृह मंत्रालय को सौंपा गया था।

1.14 वर्ष 1999 में, दिनांक 15.10.1999 की अधिसूचना के माध्यम से जब जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) का गठन किया गया था, तब "अनुसूचित क्षेत्रों" से संबंधित मामलों को जनजातीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया था। तब से, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित कार्य कर रहा है। वर्ष 1950 से 2025 तक, कुल 11 संवैधानिक आदेश (सीओ) अधिसूचित किए गए हैं, जिनके द्वारा राष्ट्रपति ने किसी राज्य के एक क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित किया है,

1.15 इसलिए, 'अनुसूचित क्षेत्रों' से संबंधित सभी मामले, जिनमें किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक जनजातीय समुदाय की बहुलता अथवा क्षेत्र के पिछड़ेपन आदि जैसे मापदंड निर्धारित किया जाना, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजना, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर कार्रवाई करना और इसे भारत के राष्ट्रपति को अग्रेषित करना शामिल है; जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया के दौरान पंचायती राज मंत्रालय से सलाह/राय नहीं लेता है। संक्षेप में, किसी राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने अथवा भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई में शामिल पूरी प्रक्रिया में पंचायती राज मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

1.16 वर्तमान में, पांचवीं अनुसूची क्षेत्र **10 राज्यों** में घोषित किए गए हैं। अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों का राज्य-वार विवरण निम्नवत है-

| क्रम सं. | राज्य का नाम | ग्राम | पंचायतें | ब्लॉक | जिले | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | पूर्णतः शामिल किए गए | आंशिक रूप से शामिल किए गए |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1,586 | 588 | 36 | 0 | 5 |
| 2 | छत्तीसगढ | 9,977 | 5,050 | 85 | 13 | 6 |
| 3 | गुजरात | 4,503 | 2,388 | 40 | 4 | 7 |
| 4 | हिमाचल प्रदेश | 806 | 151 | 7 | 2 | 1 |
| 5 | झारखंड | 16,022 | 2,074 | 131 | 13 | 3 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 11,784 | 5,211 | 89 | 5 | 15 |
| 7 | महाराष्ट्र | 5,905 | 2,835 | 59 | 0 | 12 |
| 8 | ओडिशा | 19,311 | 1,918 | 119 | 6 | 7 |
| 9 | राजस्थान | 5,054 | 1,194 | 26 | 2 | 3 |
| 10 | तेलंगाना | 2,616 | 631 | 72 | 0 | 4 |
| | **कुल** | **77,564** | **22,040** | **664** | **45** | **63** |

## ग. <u>पेसा अधिनियम 1996 के उद्देश्य</u>

1.17 अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित किए बिना पंचायती राज प्रणाली का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करना और साथ ही उन ग्राम सभाओं/पंचायतों को और अधिक शक्तियां प्रदान करना जो सामान्य ग्राम सभाओं/पंचायतों को प्रदान नहीं की जाती हैं।

## घ. <u>पेसा अधिनियम 1996 की प्रमुख विशेषताएं</u>

1.18 पेसा अधिनियम, 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की एक संस्था के रूप में ग्राम सभाओं की स्थापना करता है। अधिनियम की धारा 4(ख) और 4(ग) के अनुसार, ग्राम सभाओं का गठन आवासों अथवा पुरबों के स्तर पर किया जाना चाहिए। पंचायतों द्वारा सभी विकास योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने से पहले ग्राम सभा को उन विकास योजनाओं और परियोजनाओं को अनुमोदित करने का अधिकार है [धारा 4(ङ)(i)]। यह अधिनियम ग्राम सभा को लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है (धारा 4(घ))। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभाएं गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या उनके चयन के लिए उत्तरदायी हैं, (धारा 4(ड.) (ii)) जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास समुदाय-आधारित और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो।

**भूमि अधिकार**: यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के भूमि अधिकारों के संरक्षण का उपबंध करता है, जिसके अंतर्गत विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि का अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श करना अनिवार्य है। (पेसा अधिनियम की धारा 4(झ) देखें)।

**जल अधिकार**: अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और उनका प्रबंध उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को सौंपा गया है (पेसा अधिनियम की धारा 4 (ञ) देखें)।

**गौण खनिज**: समुचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के पूर्व अथवा नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समुपयोजन के लिए रियायत देने के लिए आज्ञापक बनाया गया है (पेसा अधिनियम की धारा 4(ट) और 4 (ठ) देखें)।

**मादक द्रव्य का विनियमन**: पंचायतों और ग्राम सभा को उपयुक्त स्तर पर मद्यनिषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित या निर्बन्धित करने की शक्ति प्रदान की गई है। (पेसा अधिनियम की धारा 4(ड) (i) देखें)।

**गौण वन उपज का स्वामित्व:** पंचायतों और ग्राम सभा को उपयुक्त स्तर पर गौण वन उपज का स्वामित्व प्रदान किया गया है। (पेसा अधिनियम की धारा 4(ड)(ii) देखें)।

**भूमि के अन्य संक्रमण को निवारित करने की शक्ति**: पंचायतों और ग्राम सभा को उपयुक्त स्तर पर अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण को निवारित करने और किसी अनुसूचित जनजाति की विधिरुविरुद्धतया अन्य संक्रमित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है (पेसा अधिनियम की धारा 4(ड)(iii) देखें)।

**ग्राम बाजारों का प्रबंध करने की शक्ति:** पंचायतों और ग्राम सभा को उपयुक्त स्तर पर ग्राम बाजारों का प्रबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है (पेसा अधिनियम की धारा 4(ड) (iv) देखें)।

**धन उधार देने पर नियंत्रण**: पंचायतों और ग्राम सभा को उपयुक्त स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की गई है (पेसा अधिनियम की धारा 4(ड) (v) देखें)।

**स्थानीय योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण**: पंचायतों और ग्राम सभा को उपयुक्त स्तर पर स्थानीय योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं के लिए जिनके अंतर्गत जनजातीय उपयोजनाएं हैं, संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की गई है (पेसा अधिनियम की धारा 4(ड) (vii) देखें)।

1.19 राज्य विधानमंडल संविधान के भाग-9 के उपबंधों के अंतर्गत कोई कानून नहीं बनाएगा, जो पेसा अधिनियम की धारा-4 में उल्लिखित विशेषताओं से भिन्न है। पंचायतों के बारे में जो राज्य विधान बनाया जाए, रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा।

1.20 ग्राम सभा को विशेष रूप से लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने का "पूर्ण" और अनिवार्य अधिकार प्रदान किया गया है, जिनका शीर्ष स्तरों द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

1.21 एक सामान्य पंचायत को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, राज्य विधानमंडल यह भी सुनिश्चित करेगा कि ग्राम सभा और पंचायत को विशिष्ट प्रमुख शक्तियां (यथा गौण वन उपज, भूमि के अन्य संक्रमण, धन उधार देने, स्थानीय योजनाओं, ग्राम बाजारों के प्रबंध पर नियंत्रण आदि) प्रदान की गई हैं।

1.22 ग्राम सभाओं/पंचायतों का गौण वन उपज, ग्राम बाजारों के प्रबंध, समुदाय के संसाधनों पर विशिष्ट नियंत्रण और स्वामित्व तथा गौण जल निकायों पर नियंत्रण होता है।

1.23 तथापि, पेसा अधिनियम की धारा 4(ढ) में यह कहा गया है कि, "ऐसे राज्य विधानों में, जो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपाय अन्तर्विष्ट होंगे कि उच्चतर स्तर की पंचायतें, निम्न स्तर की किसी पंचायत की या ग्राम सभा की शक्तियां और प्राधिकार अपने हाथ में न लें।" इस प्रकार, इस धारा के अंतर्गत पंचायतों पर ग्राम सभा की प्रधानता सुनिश्चित की गई है। इसलिए, ग्राम सभा और पंचायतें उनके विचारार्थ विषय तथा राज्य अधिनियमों और नियमों के उपबंधों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं।

**ङ <u>पेसा के अंतर्गत आरक्षण</u>**

1.24 अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में स्थानों का आरक्षण, उस पंचायत में उन समुदायों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति) की संख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग-9 के अधीन आरक्षण दिया जाना है, परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। पंचायतों के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

1.25 राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, नामनिर्देशित कर सकेगी, परंतु ऐसा नामनिर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा।

**च. <u>सामान्य पंचायती राज प्रणाली और पेसा फ्रेमवर्क के बीच अंतर</u>**

1.26 पंचायती राज प्रणाली उन क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होती है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 243ड के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इसमें सभी 10 पेसा राज्य शामिल हैं। तथापि, पेसा केवल 10 राज्यों के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों पर लागू होता है।

1.27 पंचायती राज के अंतर्गत "ग्राम" से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है। तथापि, पेसा के अंतर्गत ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह अथवा पुरबा या पुरबों के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो।

1.28 पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया में पंचायतों के सभी स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को योजना और विकास में शामिल किया जाता है। तथापि, पेसा के अंतर्गत सहभागी लोकतंत्र पर बल दिया गया है, जो ग्राम सभा को जनजातीय परंपराओं और रूढ़िजन्य विधि के अनुरूप सभी कार्यों और निर्णय लेने का केंद्र बनाती है।

**छ. <u>राज्यों में पेसा के कार्यान्वयन की स्थिति</u>**

1.29 **पेसा राज्यों ने पेसा अधिनियम, 1996 के उपबंधों को अंगीकृत किया है:**

राजस्थान को छोड़कर, नौ पेसा राज्यों ने अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पेसा 1996 के उपबंधों को शामिल किया है। दसवें राज्य, राजस्थान ने "राजस्थान

पंचायत राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में आशोधन) अधिनियम 1999" अधिसूचित किया है।

1.30 **पेसा राज्यों ने अपने पंचायती राज कानूनों के अंतर्गत पेसा नियम बनाए हैं:**

वर्तमान में, नौ पेसा राज्यों, यथा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने अपने पेसा नियम तैयार किए हैं और ओडिशा ने अपने पेसा नियमों का प्रारूप तैयार किया है। पंचायती राज मंत्रालय पेसा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए नियमित रूप से ओडिशा के संपर्क में है।

1.31 पेसा अधिनियम के उपबंधों को अंगीकृत करने और पेसा नियम बनाने का राज्य-वार विवरण निम्नवत है-

<table>
<tr><th>राज्य</th><th>पेसा अधिनियम के उपबंधों को अंगीकृत किया गया*</th><th>पेसा नियम अधिसूचित किए गए*</th></tr>
<tr><td>आंध्र प्रदेश</td><td>16.01.1998</td><td>24.03.2011</td></tr>
<tr><td>छत्तीसगढ</td><td>05.12.1997</td><td>08.08.2022</td></tr>
<tr><td>गुजरात</td><td>11.07.1998</td><td>17.01.2017</td></tr>
<tr><td>हिमाचल प्रदेश</td><td>24.05.2004</td><td>26.03.2011</td></tr>
<tr><td>झारखंड</td><td>10.05.2001</td><td>02.01.2026</td></tr>
<tr><td>मध्य प्रदेश</td><td>05.12.1997</td><td>15.11.2022</td></tr>
<tr><td rowspan="2">महाराष्ट्र</td><td>ग्राम पंचायत के लिए 08.08.2003</td><td rowspan="2">04.03.2014</td></tr>
<tr><td>ज़िला परिषद और पंचायत समिति के लिए 03.01.1997</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ओडिशा</td><td>ग्राम पंचायत के लिए 21.12.1997</td><td rowspan="3">प्रारूप नियम 10.11.2023 को अधिसूचित किए गए</td></tr>
<tr><td>पंचायत समिति के लिए 1997 के अधिनियम 16 द्वारा</td></tr>
<tr><td>ज़िला परिषद के लिए 1997 के अधिनियम 17 द्वारा</td></tr>
<tr><td>राजस्थान</td><td>30.09.1999</td><td>01.11.2011</td></tr>
<tr><td>तेलंगाना</td><td>30.03.2018</td><td>02 जून, 2014 को एक अलग राज्य बना। 2014 में आंध्र प्रदेश के पेसा नियम, 2011 को अंगीकृत किया गया।</td></tr>
</table>

1.32 उन पेसा राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत सभी पंचायतों/ग्राम सभाओं, जिन्होंने अपने पेसा नियम बनाए हैं और ओडिशा के लिए भी, जिसने अभी तक अपने पेसा नियम नहीं बनाए हैं, को पेसा अधिनियम के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया है

क्योंकि पेसा राज्यों ने अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से पहले ही पेसा अधिनियम, 1996 को अंगीकृत कर लिया है।

**ज. <u>राज्यों की पेसा रैंकिंग</u>**

1.33 इस प्रकार पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर पेसा के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है और हाल ही में इसने पेसा संकेतकों/सूचकांकों के आधार पर राज्यों की पेसा रैंकिंग शुरू की है ताकि केंद्र और राज्य एकसम्मत रूपरेखा के माध्यम से पेसा के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में अद्यतन जानकारी रखे। रैंकिंग के अनुसार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शीर्ष पर हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। आंध्र प्रदेश और गुजरात को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में रखा गया है जबकि ओडिशा और झारखंड राज्यों को प्रारम्भिक श्रेणी में रखा गया है।

**झ. <u>पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम:</u>**

1.34 **पेसा 2021 संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन**: पंचायती राज मंत्रालय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 18 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में पेसा संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। पेसा से संबंधित सभी राज्यों के पंचायती राज और जनजातीय/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभागों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य संगठनों जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वित्त मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी) और जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ-साथ कई गैर-सरकारी संगठनों को भी आमंत्रित किया गया था।

1.35 **पेसा संबंधी क्षेत्रीय सम्मेलन:** इस मंत्रालय ने पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने और जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने हेतु 11 और 12 जनवरी, 2024 को पुणे (महाराष्ट्र) में और 4 - 5 मार्च, 2024 को रांची (झारखंड) में पेसा संबंधी दो क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए हैं। इन दो हालिया क्षेत्रीय सम्मेलनों से यह निष्कर्ष निकला है कि पेसा अधिनियम को अक्षरशः लागू करने के लिए प्रत्येक प्रमुख पेसा विषय पर एक प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किया जाना आवश्यक है।

1.36 **प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना**: क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान कार्योन्मुख क्षमता निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने प्रमुख पेसा विषयों: (i) ग्राम सभाएँ, (ii) गौण वन उपज, (iii) गौण खनिज, (iv) भूमि का अन्य संक्रमण, (v) धन उधार, (vi) मादक द्रव्य, और (vii) विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग के संबंध में प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने हेतु अधिकारियों की सात समितियों का गठन किया। इन सामग्रियों को 20-21 जून 2024 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में एक राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला के दौरान अंतिम रूप दिया गया।

1.37 **पेसा 2024 संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन:** पंचायती राज मंत्रालय ने 26 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में पेसा अधिनियम संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण

विकास विभाग के मंत्रियों के साथ-साथ कई गैर-सरकारी संगठनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। तीन स्तरों में दस पेसा राज्यों में से प्रत्येक से 35 निर्वाचित प्रतिनिधि, जमीनी स्तर पर पेसा को लागू करने वाले संबंधित लाइन विभागों के अधिकारी, दस पेसा राज्यों के राज्य पंचायती राज विभागों के वरिष्ठ और जमीनी स्तर के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में, मंत्रालय ने प्रमुख पेसा विषयों पर सात प्रशिक्षण मैनुअल जारी किए-

i. ग्राम सभा को सुदृढ़ करना
ii. गौण वन उपज
iii. गौण खनिज
iv. विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग
v. धन उधार देने पर नियंत्रण
vi. मद्यनिषेध और किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित/निर्बंधित करना
vii. भूमि के अन्य संक्रमण पर निवारण।

1.38 **पेसा जीपीडीपी एकीकरण**: पेसा 2024 के संबंध में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पेसा-जीपीडीपी पोर्टल भी लॉन्च किया गया ताकि पेसा अधिनियम के अंतर्गत जनजातीय समुदायों के अधिकारों और प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास संबंधी कार्यकलापों की योजना और निगरानी को सुगम बनाने हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) ढांचे के अंतर्गत पेसा ग्राम-विशिष्ट विकास योजनाएँ तैयार की जा सकें। पीईएसए-जीपीडीपी पोर्टल केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों, राज्य वित्त आयोग के अनुदानों, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य की योजनाओं और पेसा ग्राम पंचायतों में अन्य निधियों के गांव/ग्रामवार संसाधन आवंटन को सक्षम बनाता है, जिसका उपयोग वे ग्रामवार कार्यकलापों की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं।

पेसा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के लिए जीपीडीपी पोर्टल में पेसा ग्राम सभा को सुदृढ़ करना, प्रथागत विवाद समाधान, भूमि हस्तांतरण की रोकथाम, निषेध और नशीले पदार्थों का प्रवर्तन, गौण वन उपज की बिक्री प्रबंधन, गौण खनिजों और धन उधार पर नियंत्रण जैसी विषयवार अतिरिक्त कार्यकलापों को भी जीपीडीपी पोर्टल में जोड़ा गया है। ग्राम पंचायतों ने राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्राम स्तर पर अपने जीपीडीपी की योजना बनाना शुरू कर दिया है।

1.39 **24 दिसंबर 2024 को पेसा दिवस समारोह:** मंत्रालय ने सभी दस *पेसा* राज्यों से 24 दिसंबर 2024 को पेसा दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया था, जिसका उद्देश्य पेसा अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बेहतर शासन के लिए हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना है, जिसमें ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के कामकाज में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है।

1.40 राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने रांची में की, जहां अनुसूची V क्षेत्रों के स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विशेषज्ञों ने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं तथा आदर्श और वास्तविक स्थितियों के बीच अंतराल को भरने के लिए आवश्यक कार्यों पर विचार-विमर्श करते हुए एक दिन बिताया।

झारखंड ने 1-2 महीने के भीतर अपने पेसा नियमों को लागू करने का वादा किया क्योंकि प्रारूप पहले से ही प्रचलन में था।

1.41 **पेसा दिवस समारोह (पेसा महोत्सव) 2025:** पंचायती राज मंत्रालय ने 23 और 24 दिसंबर, 2025 को पेसा दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पेसा महोत्सव का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन की भावना को मनाया और मजबूत करना था। महोत्सव में 10 किमी पेसा रन, तीरंदाजी रिकर्व (पुरुष और महिला), और कबड्डी (पुरुष और महिला) जैसी खेल प्रतियोगिताओं के साथ-साथ स्वदेशी खेल प्रथाओं को प्रदर्शित करने वाले पारंपरिक जनजातीय खेलों सहित कई कार्यकलापों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वदेशी संगीत और नृत्य पर प्रकाश डालने वाले राज्यवार जनजातीय सांस्कृतिक प्रदर्शन, आदिवासी हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और स्वदेशी व्यंजनों को प्रदर्शित करने वाला एक शिल्प बाजार और फूड फेस्टिवल और सूचना प्रसार और निगरानी के लिए पेसा पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल था। इसके अलावा, राज्यवार मूल्यांकन के लिए पेसा संकेतक, जनजातीय भाषाओं में प्रशिक्षण मॉड्यूल और चिन्हित पेसा विषयों पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन समारोह के हिस्से के रूप में किया गया।

1.42 मंत्रालय ने सभी दस पेसा राज्यों से 24 दिसंबर 2025 को पेसा दिवस के रूप में मनाने का भी अनुरोध किया, जिसमें विभिन्न पेसा विषयों पर मार्गदर्शन और चर्चा के साथ पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के पेसा गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। राज्यों को पेसा अधिनियम और संबंधित राज्य पेसा नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और वीडियो, फ्लायर्स, पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन और अन्य आईईसी सामग्री के माध्यम से पेसा के प्रावधानों के बारे में जानकारी का प्रसार करने की भी सलाह दी गई। इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया था कि वे पेसा से संबंधित विभिन्न विभागों, जैसे राजस्व और अन्य संबंधित विभागों के जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि क्षेत्र स्तर पर पेसा प्रावधानों की समझ और प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत किया जा सके।

1.43 **पेसा राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक द्वारा विकसित संसाधन और पेसा राज्यों में आयोजित प्रशिक्षण:** मंत्रालय ने सात प्रमुख राज्यों से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य-स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दौर का संचालन करने का अनुरोध किया। इसके जवाब में, 7 अलग-अलग राज्यों में प्रशिक्षण आयोजित किए गए और पूरे हो चुके हैं।

| क्रम संख्या | मार्गदर्शक राज्य | प्रशिक्षण की तिथियां | पेसा प्रशिक्षण/मार्गदर्शिका |
|---|---|---|---|
| 1. | महाराष्ट्र | 30-31 अक्तूबर, 2025 | ग्राम सभा का सुदृढ़ीकरण |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 10-11 सितंबर, 2025 | गौण वन उपज |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 09-10 अक्तूबर, 2025 | गौण खनिज |
| 4. | तेलंगाना | 11-12 नवंबर, 2025 | भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम |
| 5. | मध्य प्रदेश | 15-16 अक्तूबर, 2025 | धन उधार देने पर नियंत्रण |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 26 सितंबर 2025 | निषेध का प्रवर्तन और नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन |
| 7. | ओडिशा | 28-29 अक्तूबर, 2025 | विवाद समाधान का पारंपरिक तरीका |

1.44 वित्तीय वर्ष 2024-25 में, इस मंत्रालय ने मार्गदर्शक राज्यों के सहयोग से प्रमुख पेसा विषयों पर प्रत्येक प्रशिक्षण नियमावली पर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के सात प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। प्रशिक्षणों का विवरण इस प्रकार है:

| **क्रम संख्या** | **मार्गदर्शक राज्य** | **प्रशिक्षण की तिथियां** | **पेसा प्रशिक्षण/ मार्गदर्शिका** |
|---|---|---|---|
| 1 | महाराष्ट्र | 22-23 अगस्त 2024 | ग्राम सभा का सुदृढ़ीकरण |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 29-30 अगस्त 2024 | गौण वन उपज |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 2-3 सितंबर, 2024 | गौण खनिज |
| 4 | तेलंगाना | 18-19 सितंबर, 2024 | भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम |
| 5 | मध्य प्रदेश | 8-9 अक्तूबर, 2024 | धन उधार देने पर नियंत्रण |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 15 अक्तूबर, 2024 | निषेध का प्रवर्तन और नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन |
| 7 | ओडिशा | 22-23 अक्तूबर, 2024 | विवाद समाधान का प्रथागत तरीका |

1.45 **पेसा से संबंधित राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण**

पंचायती राज मंत्रालय के प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 दिसंबर, 2025 तक पेसा से संबंधित आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण इस प्रकार है:

| **वित्त वर्ष 2025-2026(दिसंबर 2025 तक) में पेसा का प्रशिक्षण विवरण** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं. | राज्य | पेसा से संबंधित प्रशिक्षणों की संख्या | राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रतिभागी | जिला स्तर पर प्रशिक्षित प्रतिभागी | ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित प्रतिभागी | कुल योग |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 121 | 34 | 4,325 | 3,456 | 7,815 |
| 2 | छत्तीसगढ़ | 6 | 72 | - | 80 | 152 |
| 3 | गुजरात | 0.00 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | हिमाचल प्रदेश | 20 | 157 | 679 | - | 836 |
| 5 | झारखंड | 644 | - | 1,972 | 32,179 | 34,151 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 203 | 2,018 | 13,404 | - | 15,422 |
| 7 | महाराष्ट्र | 83 | 211 | 2,823 | - | 3,034 |
| 8 | ओडिशा | 1 | - | 97 | - | 97 |
| 9 | राजस्थान | 13 | 63 | - | 277 | 340 |
| 10 | तेलंगाना | 1 | 33 | - | - | 33 |
| | कुल | 1092 | 2,588 | 23,300 | 35,992 | 61,880 |

1.46 जमीनी स्तर पर पेसा के कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकार पंचायतों के तीन स्तरों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, संबंधित विभागों के अधिकारियों और राज्य पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ और स्थानीय स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है।

पंचायती राज मंत्रालय के प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में पेसा पर आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार है:

| **वित्त वर्ष 2024-25 में पेसा का प्रशिक्षण विवरण** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | राज्य | पेसा से संबंधित प्रशिक्षणों की संख्या | राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रतिभागी | जिला स्तर पर प्रशिक्षित प्रतिभागी | ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित प्रतिभागी | कुल योग |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 759 | 50 | 54059 | 0 | 54109 |
| 2. | छत्तीसगढ़ | 138 | 45 | 415 | 4554 | 5014 |
| 3. | गुजरात | 8 | 0 | 0 | 226 | 226 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 292 | 162 | 14523 | 0 | 14685 |
| 6. | महाराष्ट्र | 38 | 0 | 1119 | 0 | 1119 |
| 7. | ओडिशा | 1 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 8. | राजस्थान | 27 | 131 | 307 | 1229 | 1667 |
| 9. | तेलंगाना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल योग** | **1264** | **388** | **70473** | **6009** | **76870** |

मंत्रालय ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना जैसे कम प्रतिभागी वाले राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर नियोजित प्रशिक्षणों की संख्या बढ़ाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेसा प्रशिक्षण के लिए अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया जाए।

1.47 **स्थानीय/जनजातीय भाषाओं में पेसा पर प्रशिक्षण नियमावली का अनुवाद:** मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि जमीनी स्तर पर पेसा अधिनियम के प्रावधानों की पहुंच, समझ और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए सात पेसा प्रशिक्षण नियमावली का अनुवाद जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाए।

1.48 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने सभी सात नियमावली का तेलुगु में अनुवाद पूरा कर लिया है, जबकि महाराष्ट्र ने मराठी में चार नियमावली का अनुवाद पूरा कर लिया है। पंचायती राज मंत्रालय ने भाषिनी से भी संपर्क किया है, जिसने गुजराती, मराठी, उड़िया और संथाली में पेसा प्रशिक्षण नियमावली के अनूदित संस्करण साझा किए हैं।

1.49 इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय के गोंडी और भीली, जनजातीय कार्य मंत्रालय के आदि वाणी पोर्टल का उपयोग करते हुए पेसा प्रकोष्ठ ने 7 प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुवाद की सुविधा के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ सहयोग किया है- ग्राम सभा को मजबूत करना, गौण वन उपज, गौण खनिज, विवाद समाधान का प्रथागत तरीका, धन उधार पर नियंत्रण, नशीले पदार्थों की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध और विनियमन/प्रतिबंध, भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम। गोंडी, भीली और मुंडारी में नियमावली के अनुवाद का काम पूरा हो चुका है और संबंधित राज्यों द्वारा इसकी जांच की गई है। पेसा महोत्सव, 2025 के अवसर पर मुंडारी (मध्य प्रदेश), भीली (झारखंड) और गोंडी (छत्तीसगढ़) में प्रशिक्षण नियमावली शुरू की गई।

1.50 **पेसा संकेतक:** पेसा को लागू करने में राज्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए, मंत्रालय द्वारा विभिन्न मापदंडों के आधार पर संकेतकों का एक सेट विकसित किया गया है जैसे कि राज्य सरकारों द्वारा अपने पंचायती राज कानूनों में किए गए संशोधन और पेसा अधिनियम के अनुसार अन्य विषय कानून, पेसा अधिनियम के साथ राज्य पेसा नियमों की अनुरूपता, पेसा कर्मचारियों की तैनाती, ग्राम सभा सदस्यों और सरकारी अधिकारियों का पेसा आदि पर प्रशिक्षण और अभिविन्यास आदि के संबंध में कार्य करना। इन संकेतकों को राज्य सरकारों के साथ उनकी प्रतिक्रिया के लिए साझा किया गया है। फीडबैक प्राप्त किया गया है और इसे ढांचे में शामिल किया गया है। पेसा महोत्सव, 2025 के अवसर पर पेसा संकेतकों को औपचारिक रूप से शुरू किया गया है।

1.51 **भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेने पर मार्गनिर्देशिका:** पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद 8 सितंबर 2025 को सभी पेसा राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि वे विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की पूर्व सहमति लें और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और कार्यान्वयन को राज्य स्तर पर समन्वित करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे पंचायती राज मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के ग्राम सभा घटक से निधियों का उपयोग करके ग्राम सभा सदस्यों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें।

1.52 पेसा सम्बन्धी अनुसंधान अध्ययन: "पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पंचायतों के स्व-शासन के सुदृढ़ीकरण में पेसा का प्रभाव" विषय पर एक शोध अध्ययन शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए विचारार्थ विषयों (टीओआर) को अंतिम रूप दे दिया गया है और अनुसंधान अगले वित्त वर्ष में होने की उम्मीद है।

1.53 **पेसा पोर्टल:** मंत्रालय द्वारा पेसा के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया जा रहा है ताकि पेसा से संबंधित सभी जानकारी, जैसे कि संवैधानिक प्रावधान, पेसा अधिनियम से संबंधित राज्य विशिष्ट प्रावधान, राज्य पेसा नियम, पेसा पंचायतों और ग्राम सभा की सूची, पेसा से संबंधित सलाह और दिशानिर्देश, प्रशिक्षण नियमावली, सम्मेलन और कार्यशाला कार्यवृत्त, अनुसंधान रिपोर्ट, पेसा से संबंधित केस स्टडीज, सर्वोत्तम प्रथाएं, फोटो और वीडियो, सभी एक ही स्थान पर पहुंच सकते हैं। पोर्टल को औपचारिक रूप से 24 दिसंबर 2025 को पेसा महोत्सव, 2025 के अवसर पर शुरू किया गया था।

1.54 **मेरी परंपरा, मेरी विरासत:** छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासियों की संस्कृति का व्यवस्थित प्रलेखन, डिजिटलीकरण और संरक्षण करने के लिए, मंत्रालय द्वारा मेरी परंपरा, मेरी विरासत नामक एक अनूठी परियोजना छत्तीसगढ़ सरकार को सौंपी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य एक समुदाय और ग्राम सभा के नेतृत्व वाले भागीदारी दृष्टिकोण को अपनाकर राज्य के सभी 42 जनजातीय समुदायों का विस्तृत दस्तावेज तैयार करना है। यह परियोजना न केवल लुप्तप्राय परंपराओं की रक्षा करेगी, बल्कि स्वदेशी आवाजों को भी सशक्त बनाएगी, अंतर-पीढ़ीगत ज्ञान संचरण को मजबूत करेगी, और समुदायों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और जनता के लिए सुलभ एक द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) डिजिटल भंडार बनाएगी।

1.55 **पेसा संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन:** ग्राम सभाओं और पंचायतों द्वारा पेसा शक्तियों के उपयोग के संबंध में अनुकरणीय प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने 13 और 14 मई, 2025 को यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा) पुणे, महाराष्ट्र में दो दिवसीय लेखन-कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विशेषज्ञों, पेसा अधिकारियों और छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थानों के क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और राजस्थान ने भाग लिया।

1.56 मंत्रालय को सभी 10 पेसा राज्यों से कुल 40 सर्वोत्तम प्रथाएं प्राप्त हुईं। इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक संग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया है, जिसका शीर्षक है "पेसा इन एक्शन: स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रकोष्ठ्फ-गवर्नेंस" जिसे 24 जुलाई, 2025 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। इस संग्रह में सभी 10 पेसा राज्यों की 40 सफलता की कहानियां शामिल हैं। ये सफलता-वृतांत इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि पेसा अधिनियम जमीनी स्तर पर लागू हो रहा है और पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाएं राज्य पेसा नियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रही हैं।

1.57 पंचायती राज मंत्रालय ने इन सफलता की कहानियों के आधार पर छह वीडियो भी तैयार किए हैं, जिन्हें व्यापक प्रसार के लिए मंत्रालय के आधिकारिक यूट्यूब पेज पर अपलोड किया गया है।

1.58 **पेसा कर्मचारियों की नियुक्ति**: राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर पेसा के कार्यान्वयन पर काम करने के लिए समर्पित कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए सभी 10 पेसा राज्यों का समर्थन कर रहा है। पेसा को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए राज्यों में 15,500 से अधिक समर्पित कर्मचारी काम कर रहे हैं।

1.59 **पंचायती राज मंत्रालय में पेसा प्रकोष्ठ का निर्माण:** अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन और निरीक्षण को बढ़ाने के लिए सितंबर 2024 से मंत्रालय में एक पेसा प्रकोष्ठ [एक *यूएस, एक एसओ और दो एएसओ के नियमित (मंत्रिस्तरीय) कर्मचारी हैं*] बनाया गया है। पेसा प्रकोष्ठ के लिए मंत्रालय द्वारा सामाजिक विज्ञान, कानूनी और वित्त की पृष्ठभूमि से चार सलाहकारों को भी नियुक्त किया गया है।

**ञ. <u>पेसा संबंधी उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)</u>**

1.60 पेसा अधिनियम आदिवासी क्षेत्रों और समुदायों को स्थानीय स्वशासन में सशक्त बनाता है और पारंपरिक और प्रथागत कानूनों और प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए पेसा पंचायतों में विभिन्न विकास सम्बन्धी कार्यकलापों को शुरू करता है। 10 में पेसा राज्य/क्षेत्र जिन्हें पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, उनमें जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं, जहां जनजातीय समुदायों की आबादी है, जिनके अपने पारंपरिक कानून, धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं और उनके गांवों/पंचायतों के मामलों के प्रबंधन का पारंपरिक तरीका, सामुदायिक संसाधन, विवाद समाधान आदि हैं।

1.61 पेसा क्षेत्रों में मंत्रालय के प्रयासों को संस्थागत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। जबकि अधिनियम 1996 में बनाया गया था, निरंतर ध्यान देने की कमी रही है। हमारे जनजातीय समुदायों के लिए पेसा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति को कार्यान्वित करने के हमारे प्रयासों को संस्थागत बनाने की तत्काल आवश्यकता है। यह एक शैक्षणिक संस्थान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करके प्राप्त होने की उम्मीद है। जनजातीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों को पंचायती राज मंत्रालय के साथ जोड़कर, केंद्र अनुरूप शैक्षिक/अनुसंधान कार्यक्रम, क्षमता निर्माण और अन्य जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो जनजातीय आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। इस सहयोग का उद्देश्य व्यावहारिक शासन रणनीतियों के साथ अकादमिक विशेषज्ञता को एकीकृत करके स्थानीय शासन और विकास पहलों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

1.62 किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(i) पेसा राज्यों में पेसा क्षेत्रों में अकादमिक ज्ञान और जमीनी स्तर के प्रशासन के बीच की खाई को पाटने का लक्ष्य है;

(ii) संस्थागत सहायता और अनुसंधान को सुदृढ़ करना: पेसा राज्यों/क्षेत्रों के लाभ के लिए जनजातीय समुदायों, पीईएसए के प्रावधानों, वन अधिकारों, सतत विकास, पारंपरिक ज्ञान संरक्षण, स्थानीय संसाधन प्रबंधन आदि से संबंधित मुद्दों, महत्वपूर्ण सोच के विकास पर केंद्रित पाठ्यक्रम और अनुसंधान विकसित करना, विवेकपूर्ण और परिणामोन्मुख सोच को बढ़ावा देना।

(iii) पेसा कार्यान्वयनकारी राज्यों/क्षेत्रों आदि के संबंध में प्रलेखन और सर्वोत्तम पद्धतियों आदि।
(iv) पेसा राज्यों में समुदाय के नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों, राज्य अधिकारियों का क्षमता निर्माण। समुदाय के नेताओं के कौशल और ज्ञान में सुधार।
(v) प्रथागत कानून और प्रथाओं, सांस्कृतिक विरासत का सरंक्षण और संवर्धन।
(vi) जमीनी स्तर पर भागीदारी योजना सुनिश्चित करना और पेसा क्षेत्र में जीपीडीपी की प्रभावी तैयारी करना।
(vii) पेसा क्षेत्रों और अन्य पक्षों में जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान।
(viii) पेसा क्षेत्रों से संबंधित कोई अन्य मुद्दा।

1.63 इस पहल की दिशा में, इस मंत्रालय ने उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के साथ संवाद किया और जनजातीय अध्ययन में लगे राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों और जनजातीय अध्ययन में लगे विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी मांगी। जवाब में, उन्होंने 16 विश्वविद्यालयों की एक सूची प्रदान की। एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केन्द्र के गठन के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को परिचालित किया गया था। मंत्रालय को 08 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

i. आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
ii. राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
iii. हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
iv. कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय
v. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश
vi. नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय
vii. पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय
viii. जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली

1.64 पंचायती राज मंत्रालय की संवीक्षा समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) के परिचालन पर प्राप्त 08 प्रस्तावों में से निम्नलिखित 04 विश्वविद्यालयों का चयन किया:

i. आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
ii. हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
iii. कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय
iv. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश

1.65 अंतिम सिफारिश राज्य द्वारा स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई वित्तीय प्रतिबद्धता पर आधारित थी। इस प्रकार, इन 04 विश्वविद्यालयों की राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद, मंत्रालय को अपने राज्य में राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश राज्य से वित्तीय प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। इसलिए, गहन मूल्यांकन के बाद, जांच समिति ने **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू), मध्य प्रदेश** में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने की सिफारिश की।

**एक. उत्कृष्ट केंद्र के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धताएं:**

(क) समिति कक्ष, कंप्यूटर लैब/सिस्टम, आवास सुविधा जैसे बुनियादी ढांचे।

(ख) प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर जैसे जनशक्ति - अध्यक्ष-पीठ सीओई, सहायक प्रोफेसर (2-3), अनुसंधान सहायक / शोधकर्ता (2-3)

**दो. उत्कृष्टता केंद्र की प्रमुख उपलब्धियाँ**

(i) पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हस्तक्षेप।

(ii) विभिन्न पीईएसए/एलएसडीजी विषयों में प्रमुख मापदंडों में सुधार।

(iii) जिलों/ब्लॉकों/गांवों में जागरूकता अभियानों की संख्या

(iv) आईईसी कार्यकलाप

(v) राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों/अधिकारियों के लिए विश्वविद्यालय में आवासीय प्रशिक्षणों की संख्या

(vi) राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों/अधिकारियों के लिए विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित ईआर/अधिकारियों की संख्या।

(vii) राज्यों/जिलों आदि में प्रशिक्षण/जागरूकता के लिए तैनात संसाधन व्यक्ति।

(viii) अनुसंधान अध्ययन।

(ix) कार्यों के दायरे के अनुसार कार्यकलापों का प्रलेखन।

(x) प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन और प्रतिक्रिया

(xi) उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य डिलिवरेबल्स जो बाद में आपसी सहमति के अनुसार तय किए जा सकते हैं।

1.66 मंत्रालय द्वारा सीओई के लिए वित्त पोषण आरजीएसए योजना के राज्य घटक के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत वित्त पोषण मंत्रालय द्वारा और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जहां विश्वविद्यालय जिसमें सीओई स्थापित या स्थित होगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रस्तुत कर दी है। सीओई के लिए वित्त पोषण संशोधित आरजीएसए योजना के राज्य घटक के माध्यम से प्रस्तावित है, जहां सीओई के कुल बजट 13,35,32,200/- (5 वर्ष की राशि) का 60% एमओपीआर द्वारा और 40% मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पांच साल के प्रस्ताव के लिए राज्य का हिस्सा 5,34,12,800 रुपये (5 वर्ष की राशि) और केंद्र का हिस्सा 8,01,19,320/- रुपये है। तथापि, आईजीएनटीयू ने 9,63,23,000 रुपये की राशि का एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) का हिस्सा 60% होगा, जो 5,77,93,800/- रुपये होगा और राज्य सरकार का हिस्सा, जो 40 प्रतिशत का योगदान करता है, ₹ 3,85,29,200/- है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार की सहमति प्राप्त है।

1.67 24 जुलाई 2025 को, पंचायती राज मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू), अमरकंटक के सहयोग से आईजीएनटीयू में पेसा पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक **समझौता ज्ञापन (एमओयू)** पर हस्ताक्षर किए। यह पहल

जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और पंचायतों के प्रावधानों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

1.68 इसके अतिरिक्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश में उत्कृष्टता केन्द्र का मार्गदर्शन करने के लिए कार्यक्रम सलाहकार बोर्ड (पीएबी) का गठन किया गया है। पीएबी का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की क्षमता निर्माण, प्रथागत कानून और प्रथाओं का संरक्षण और संवर्धन और संस्थागत समर्थन और अनुसंधान को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम सलाहकार बोर्ड के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(i) सीओई के कामकाज के लिए कार्य योजना को मंजूरी देना।
(ii) परिकल्पित उद्देश्यों के संबंध में सीओई के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों की सलाह देना
(iii) अपेक्षित परिणाम और और समयोचित हस्तक्षेपों के अनुसार सीओई के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) तैयार करना।

1.69 18 अगस्त, 2025 को आयोजित दूसरी बैठक में, पीएबी सदस्यों ने 2025-26 के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी है, जिसमें विवाद समाधान के पारंपरिक/प्रथागत तरीके के प्रलेखन, परंपराओं और रीति-रिवाजों के संहिताकरण, जनजातीय क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रलेखन, प्रशिक्षण नियमावली, पेसा राज्यों में 5 मॉडल पेसा ग्राम सभाएं, स्थानीय/जनजातीय भाषाओं में पेसा पर आईईसी सामग्री पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्तमान में, आईजीएनटीयू पंचायती राज मंत्रालय और डीओपीआर, मध्य प्रदेश के नियमित समन्वय के साथ अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार सीओई का काम कर रहा है। पंचायती राज मंत्रालय हर महीने आईजीएनटीयू से अनुमोदित कार्य योजना की समीक्षा करता है।

## भाग - II

## समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

### 1. पेसा के अक्षरशः और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता

समिति नोट करती है कि पेसा अधिनियम, 1996 को संविधान के भाग-IX के प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, ताकि जनजातीय रीति-रिवाजों, परंपराओं तथा सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। समिति को इस बात की जानकारी दी गई कि अधिनियम के लागू होने के लगभग तीन दशकों के बावजूद, इसके कार्यान्वयन में अभी भी कमियां बनी हुई हैं और प्रारंभिक वर्षों में प्रगति धीमी रही है। समिति यह भी नोट करती है कि पेसा का मुख्य उद्देश्य पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के माध्यम से स्व-शासन को सुदृढ़ करना और जनजातीय समुदायों और उनके पारंपरिक अधिकारों तथा संसाधनों की रक्षा करना है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के समन्वय से सभी पेसा राज्यों में अधिनियम के क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा करे तथा स्पष्ट रूप से आकलन किए जाने वाले परिणामों सहित समयबद्ध रूपरेखा तैयार करे, ताकि अधिनियम का अक्षरशः और प्रभावी एवं गम्भीरतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

### 2. सभी राज्यों द्वारा पेसा नियमों की शीघ्र अधिसूचना

समिति नोट करती है कि ओडिशा एकमात्र पेसा राज्य है जिसने अभी तक अपने पेसा नियमों को अधिसूचित नहीं किया है, यद्यपि प्रारूप नियम 2023 में तैयार किए गए थे। समिति को इस बात की जानकारी दी गई कि पंचायती राज मंत्रालय नियमों की शीघ्र अधिसूचना के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से संपर्क कर रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नियम न बनने से अधिनियम के मूल प्रावधानों के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग पर रोक नहीं लगती है, लेकिन अधिसूचित नियमों के नहीं रहने से क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर ओडिशा सरकार के साथ इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए और जल्द से जल्द पेसा नियमों की अधिसूचना सुनिश्चित करनी चाहिए। समिति अधिनियम की भावना और उद्देश्यों के अनुरूप कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी पेसा राज्यों द्वारा पेसा नियमों की समय-समय पर समीक्षा और अद्यतन करने की भी सिफारिश करती है। विसंगतियों की पहचान करने और कानूनी अनुपालन को लागू करने के लिए उक्त समीक्षा/मूल्यांकन आवश्यक हैं।

### 3. स्वशासन की नींव के रूप में ग्राम सभाओं को सुदृढ़ करना

समिति नोट करती है कि ग्राम सभा पेसा ढांचे के अंतर्गत मूलभूत संस्था है और इसे सामुदायिक संसाधनों, प्रथागत विवाद समाधान, लघु वन उत्पाद, भूमि अधिग्रहण और ग्राम विकास

**योजना से संबंधित व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने समिति को यह जानकारी दी कि पेसा के अंतर्गत, ग्राम सभा को जनजातीय समुदायों की परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार कार्य करना चाहिए और यह सहभागी लोकतंत्र अधिनियम का सार है। समिति यह भी नोट करती है कि जागरूकता की कमी और कमजोर संस्थागत सहयोग के कारण इस अधिनियम के अंतर्गत कई शक्तियां जमीनी स्तर पर अपर्याप्त रूप से प्रचालित हैं। अतः, समिति सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय को स्थानीय जनजातीय भाषाओं में अनिवार्य मार्गदर्शन कार्यक्रमों, संस्थागत सहायता और समर्पित जागरूकता अभियानों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार करना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि भूमि अधिग्रहण, सामुदायिक संसाधनों और स्थानीय नियोजन से संबंधित ग्राम सभा के प्रस्तावों को एक समर्पित राष्ट्रीय *पेसा* एकीकृत मंच के माध्यम से डिजिटल रूप से रिकॉर्ड और निगरानी की जानी चाहिए।**

**4. <u>भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा की पूर्व सूचित सहमति</u>**

**समिति नोट करती है कि पेसा अधिनियम के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण संरक्षणों में से एक अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से पहले ग्राम सभा के साथ अनिवार्य परामर्श से संबंधित है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 भी अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित होने से पहले संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति की स्पष्ट रूप से आवश्यकता करके इसे सुदृढ़ बनाता है। पंचायती राज मंत्रालय ने समिति को जानकारी दी कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के संबंध में राज्यों को मार्ग-निर्देशिका जारी की गई है। समिति यह भी नोट करती है कि समिति के समक्ष ऐसे दृष्टांत साझा किए गए थे जहां आदिवासी समुदायों ने पेसा ढांचे के अंतर्गत ग्राम सभा के हस्तक्षेप के माध्यम से भूमि अधिकार पुनः प्राप्त किए थे। समिति की यह सुविचारित राय है कि पेसा के अंतर्गत भूमि सुरक्षोपायों के अनुचित कार्यान्वयन से जनजातीय भूमि का हस्तांतरण हो सकता है और पारंपरिक आजीविका प्रणालियों का ह्रास हो सकता है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, खनन पट्टों और पुनर्वास के सभी मामलों में अनिवार्य ग्राम सभा परामर्श/सहमति के लिए व्यापक प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि ऐसे प्रावधानों के उल्लंघन पर जवाबदेही तंत्र और समय-समय पर सामाजिक लेखा परीक्षा होनी चाहिए।**

**5. <u>जनजातीय प्रथाओं, संस्कृति और पारंपरिक व्यवस्थाओं का संरक्षण</u>**

**समिति यह नोट करती है कि जनजातीय परंपराओं, प्रथाओं और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण "अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम" के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने समिति को जनजातीय प्रथाओं, गोंड कला, स्थानीय परंपराओं और पारंपरिक शासन प्रणालियों के दस्तावेज़ीकरण हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। समिति यह भी नोट करती है कि पंचायती राज मंत्रालय ने जनजातीय विरासत**

और श्रेष्ठ पद्धतियों के संरक्षण और दस्तावेज़ीकरण के लिए अन्य संस्थानों के साथ सहयोग किया है। समिति का मत है कि बढ़ते सामाजिक-आर्थिक दबाव और बाहरी प्रभाव पारंपरिक जनजातीय व्यवस्थाओं और प्रथागत शासन तंत्र को धीरे-धीरे कमजोर कर सकते हैं। अतः समिति सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय प्रथाओं, भाषाओं, पारंपरिक शासन प्रणालियों और प्रचलित विवाद निपटान तंत्र के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करे। समिति यह भी सिफारिश करती है कि दस्तावेज़ीकरण का कार्य जनजातीय बोलियों और स्थानीय भाषाओं में किया जाए ताकि प्रामाणिकता और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

6. <u>स्थानीय जनजातीय भाषाओं में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण</u>

समिति यह नोट करती है कि जागरूकता की कमी और अपर्याप्त क्षमता निर्माण पेसा के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने समिति को बताया कि प्रशिक्षण नियमावली मुंडारी, भीली और गोंडी सहित हिंदी, अंग्रेजी और अनेक क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में तैयार की गई है। समिति साक्ष्य के दौरान की गई इस टिप्पणी को भी नोट करती है कि अंग्रेजी आधारित प्रशासनिक प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता जनजातीय समुदायों तक पहुंच को प्रभावित कर सकती है। समिति का सुविचारित मत है कि पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय जनजातीय भाषाओं में संपर्क और संस्कृति आधारित प्रशिक्षण तंत्र की आवश्यकता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि पेसा से संबंधित सभी प्रशिक्षण मॉड्यूल, आईईसी सामग्री और जागरूकता कार्यक्रमों का अनुवाद अनुसूचित क्षेत्रों में बोली जाने वाली प्रमुख जनजातीय भाषाओं और बोलियों में किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सभी पेसा राज्यों में समुदाय-आधारित प्रशिक्षक और स्थानीय ट्राइबल रिसोर्स पर्सन तैयार किए जाएं।

7. <u>पेसा कार्यान्वयन के लिए समर्पित संस्थागत तंत्र</u>

समिति नोट करती है कि पंचायती राज मंत्रालय ने एक समर्पित पेसा सेल स्थापित किया है और आरजीएसए ढांचे के अंतर्गत राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के समन्वयकों के लिए सहायता भी प्रदान की है। समिति यह भी नोट करती है कि पेसा के कार्यान्वयन में पंचायती राज, जनजातीय कार्य, वन, राजस्व और ग्रामीण विकास विभागों सहित कई विभाग शामिल है, जिसके लिए सुदृढ़ संस्थागत समन्वयन की आवश्यकता है। समिति का यह मत है कि राज्य और जिला स्तरों पर समर्पित संस्थागत संरचनाओं का अभाव कार्यान्वयन और निगरानी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि सभी पेसा राज्यों में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं, पर्याप्त स्टाफ और बजटीय सहायता के साथ समर्पित पेसा प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएं। समिति यह भी सिफारिश करती है कि अनुसूचित क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली सभी योजनाओं और कानूनों की एकरूपता के लिए अंतर-विभागीय समन्वय समितियों का गठन किया जाए ताकि जनजातीय स्वशासन और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की जा सके।

8. <u>अनुसूचित क्षेत्रों में जीपीडीपी आयोजना को सुदृढ़ करना</u>

समिति यह नोट करती है कि पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा क्षेत्रों में ग्राम-स्तरीय ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) शुरू की है और योजना की रूपरेखा में पीईएसए-विशिष्ट विषयों को सम्मिलित किया है। समिति को बताया गया कि पेसा राज्यों में लगभग 96 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रामवार पेसा योजनाएँ तैयार की हैं। समिति का मत है कि शासन और स्थानीय विकास में जनजातीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रीकृत और ग्राम-केंद्रित योजना आवश्यक है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जीपीडीपी ग्राम सभा स्तर से तैयार की जाए और सभी योजनाओं में जनजातीय आजीविका संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, परंपराओं और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को शामिल किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि पेसा प्राथमिकताओं में सतत विकास लक्ष्यों और जनजातीय विकास योजनाओं को एकीकृत किया जाए।

9. <u>श्रेष्ठ पद्धतियों का दस्तावेज़ीकरण और पुनरावृत्ति</u>

समिति यह नोट करती है कि पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा से संबंधित 40 सफल पहलों का दस्तावेज़ीकरण किया है और इसके व्यापक प्रसार हेतु श्रेष्ठ पद्धतियों का संकलन तैयार किया है। समिति यह भी नोट करती है कि जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक वन प्रबंधन, तेंदू पत्ता संग्रहण, पारंपरिक विवाद निपटान और ग्राम सभा आधारित शासन के सफल उदाहरणों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। समिति का सुविचारित मत है कि सफल मॉडलों के प्रसार से स्थानीय संस्थानों को प्रेरित किया जा सकता है और राज्यों में कार्यान्वयन के मानकों को बेहतर बनाया जा सकता है। अत: समिति सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय पेसा के अंतर्गत श्रेष्ठ पद्धतियों का संस्थागत वार्षिक दस्तावेजीकरण और प्रसार करे तथा ग्राम सभा द्वारा शुरू की गई सफल पहलों का एक राष्ट्रीय संग्रह तैयार करे। अपेक्षाकृत कमजोर पेसा राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए अध्ययन दौरे भी आयोजित किए जाएं।

10. <u>पेसा रैंकिंग फ्रेमवर्क और स्वतंत्र मूल्यांकन</u>

समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय ने कार्यान्वयन संबंधी मापदंडों के आधार पर पेसा राज्यों की रैंकिंग के लिए दस संकेतक निर्धारित किए हैं। समिति कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने हेतु तुलनात्मक रूपरेखा तैयार करने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई पहल की सराहना करती है। तथापि, समिति का यह मत है कि ऐसी रैंकिंग मात्र प्रक्रियात्मक होने के बजाय पारदर्शी, स्वतंत्र रूप से सत्यापित और परिणामोन्मुखी होनी चाहिए। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय ग्राम सभा के कार्यकरण, भूमि अधिकारों के संरक्षण, लघु वनोत्पादों के प्रबंधन, महिलाओं और जनजातीय समुदायों की भागीदारी, विवाद निपटान और स्थानीय नियोजन की प्रभावकारिता सहित स्पष्ट रूप से परिभाषित संकेतकों के साथ वार्षिक पेसा कार्य-निष्पादन सूचकांक को संस्थागत बनाए।

स्वस्थ अंतर-राज्यीय प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन भी किया जाए।

11. <u>पेसा संबंधी उत्कृष्टता केंद्र</u>

समिति यह नोट करती है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक में अनुसंधान, प्रलेखन, प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन और जनजातीय विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से पेसा संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि उक्त केंद्र से पेसा राज्यों में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों की जांच, अनुसंधान अध्ययन और क्षमता निर्माण में सहायता किया जाना अपेक्षित है। समिति का यह मत है कि नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के अंतर को पाटने में उत्कृष्टता केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि उत्कृष्टता केंद्र पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों के साथ पेसा के संबंध में एक राष्ट्रीय ज्ञान और संसाधन संस्था के रूप में कार्य करे। समिति यह भी सिफारिश करती है कि ऐसे क्षेत्रीय केंद्र चरणबद्ध रूप से अन्य पेसा राज्यों में भी स्थापित किए जाएं।

12. <u>शोषण और अवैध भूमि हस्तांतरण से बचाव</u>

समिति साक्ष्य के दौरान अप्रत्यक्ष अथवा कपटपूर्ण भूमि हस्तांतरण के माध्यम से जनजातीय समुदायों के शोषण और जनजातीय भूमि के अधिग्रहण हेतु जनजातीय समुदायों की पहचान के दुरुपयोग संबंधी सरोकारों को नोट करती है। समिति यह चिंता व्यक्त करती है कि ऐसी प्रथाएं जनजातीय समुदायों को प्रदान किए गए संवैधानिक और सांविधिक सुरक्षोपायों के मूलभूत उद्देश्य को ही विफल करती हैं। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय, राज्य सरकारों के परामर्श से जनजातीय भूमि के अवैध हस्तांतरण और अनुसूचित क्षेत्रों में संरक्षण संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन से जुड़ी खामियों के संबंध में विस्तृत अध्ययन करे। समिति यह भी सिफारिश करती है कि निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ किया जाए, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाए और जनजातीय भूमि से संबंधित सभी लेन-देन का ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाए।

13. <u>जनजातीय समुदायों को जागरूक करना</u>

समिति यह नोट करती है कि पेसा के अंतर्गत परिभाषित उपबंधों और अधिकारों के संबंध में जागरूकता का अभाव एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। समिति को यह बताया गया कि मंत्रालय और उत्कृष्टता केंद्र द्वारा जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं, आवासीय प्रशिक्षण और आईईसी संबंधी कार्यकलाप आयोजित किए जा रहे हैं। समिति का यह मत है कि जब तक जनजातीय समुदायों को पेसा के अंतर्गत अपने विधिक और संस्थागत अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, तब तक प्रभावी स्व-शासन की परिकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता है। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि सामुदायिक रेडियो, जनजातीय भाषा मीडिया, स्थानीय सांस्कृतिक मंचों और शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से सभी पेसा राज्यों में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किए जाएं। इसके अंतर्गत

महिलाओं, युवाओं और जनजातीय नेताओं को जागरूक करने पर विशेष बल दिया जाए। जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से स्थानीय संसाधनों, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक पहचान के संबंध में ग्राम सभा के प्राधिकार से अवगत कराने के प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जागरूकता सृजन अनिवार्य है।

14. पेसा और अन्य कानूनों के बीच एकरूपता की आवश्यकता

समिति यह नोट करती है कि पेसा के कार्यान्वयन से वन, भूमि, खनन, जनजातीय अधिकारों और स्थानीय शासन से संबंधित कई अन्य कानून प्रभावित होंगे। समिति का यह सुविचारित मत है कि सामंजस्य के अभाव में प्रायः प्रशासनिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जमीनी स्तर पर इसका समुचित कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय पेसा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिग्रहण संबंधी कानूनों और राज्य पंचायती राज विधानों के बीच एकरूपता की व्यापक समीक्षा करे। समिति यह भी सिफारिश करती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं कि किसी भी कानून अथवा शासकीय कार्रवाई से अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा के मूलभूत उद्देश्य और सुरक्षोपाय प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों। विधिक अस्पष्टताओं को दूर करने, जनजातीय अधिकारों को क्षीण करने के प्रयासों को रोकने और ग्राम सभा की स्वायत्तता को प्रभावित करने वाली नौकरशाही संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए यह एकरूपता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

| | |
|---|---|
| नई दिल्ली; | श्री सप्तगिरी शंकर उलाका |
| 29 जुलाई, 2026 | सभापति |
| 07 श्रावण, 1948 (शक) | ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति |

# पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/96 REGISTERED NO. DL-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 70] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 1996 / पौष 3, 1918
No. 70] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 1996 /PAUSA 3, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

*New Delhi, the 24th December, 1996/Pausa 3, 1918 (Saka)*

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 24th December, 1996 and hereby published for general information:—

## THE PROVISIONS OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) ACT, 1996

No. 40 OF 1996

[24*th December*, 1996]

An Act to provide for the extension of the provisions of Part IX of the Constitution relating to the Panchayats to the Scheduled Areas.

BE it enacted by Parliament in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title.
1. This Act may be called the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996.

Definition.
2. In this Act, unless the context otherwise requires, "Scheduled Areas" means the Scheduled Areas as referred to in clause (1) of article 244 of the Constitution.

Extension of Part IX of the Constitution.
3. The provisions of Part IX of the Constitution relating to Panchayats are hereby extended to the Scheduled Areas subject to such exceptions and modifications as are provided in section 4.

Exceptions and modifications to Part IX of the Constitution.

4. Notwithstanding anything contained under Part IX of the Constitution, the Legislature of a State shall not make any law under that Part which is inconsistent with any of the following features, namely:—

(*a*) a State legislation on the Panchayats that may be made shall be in consonance with the customary law, social and religious practices and traditional management practices of community resources;

(*b*) a village shall ordinarily consist of a habitation or a group of habitations or a hamlet or a group of hamlets comprising a community and managing its affairs in accordance with traditions and customs;

(*c*) every village shall have a Gram Sabha consisting of persons whose names are included in the electoral rolls for the Panchayat at the village level;

(*d*) every Gram Sabha shall be competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and the customary mode of dispute resolution;

(*e*) every Gram Sabha shall—

(*i*) approve the plans, programmes and projects for social and economic development before such plans, programmes and projects are taken up for implementation by the Panchayat at the village level;

(*ii*) be responsible for the identification or selection of persons as beneficiaries under the poverty alleviation and other programmes;

(*f*) every Panchayat at the village level shall be required to obtain from the Gram Sabha a certification of utilisation of funds by that Panchayat for the plans, programmes and projects referred to in clause (*e*);

(*g*) the reservation of seats in the Scheduled Areas at every Panchayat shall be in proportion to the population of the communities in that Panchayat for whom reservation is sought to be given under Part IX of the Constitution:

Provided that the reservation for the Scheduled Tribes shall not be less than one-half of the total number of seats:

Provided further that all seats of Chairpersons of Panchayats at all levels shall be reserved for the Scheduled Tribes;

(*h*) the State Government may nominate persons belonging to such Scheduled Tribes as have no representation in the Panchayat at the intermediate level or the Panchayat at the district level:

Provided that such nomination shall not exceed one-tenth of the total members to be elected in that Panchayat;

(*i*) the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be consulted before making the acquisition of land in the Scheduled Areas for development projects and before re-settling or rehabilitating persons affected by such projects in the Scheduled Areas; the actual planning and implementation of the projects in the Scheduled Areas shall be coordinated at the State level;

(*j*) planning and management of minor water bodies in the Scheduled Areas shall be entrusted to Panchayats at the appropriate level;

(*k*) the recommendations of the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be made mandatory prior to grant of prospecting licence or mining lease for minor minerals in the Scheduled Areas;

(*l*) the prior recommendation of the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be made mandatory for grant of concession for the exploitation of minor minerals by auction;

(*m*) while endowing Panchayats in the Scheduled Areas with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government, a State Legislature shall ensure that the Panchayats at the appropriate level and the Gram Sabha are endowed specifically with—

(*i*) the power to enforce prohibition or to regulate or restrict the sale and consumption of any intoxicant;

(*ii*) the ownership of minor forest produce;

(*iii*) the power to prevent alienation of land in the Scheduled Areas and to take appropriate action to restore any unlawfully alienated land of a Scheduled Tribe;

(*iv*) the power to manage village markets by whatever name called;

(*v*) the power to exercise control over money lending to the Scheduled Tribes;

(*vi*) the power to exercise control over institutions and functionaries in all social sectors;

(*vii*) the power to control over local plans and resources for such plans including tribal sub-plans;

(*n*) the State legislations that may endow Panchayats with powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government shall contain safeguards to ensure that Panchayats at the higher level do not assume the powers and authority of any Panchayat at the lower level or of the Gram Sabha;

(*o*) the State Legislature shall endeavour to follow the pattern of the Sixth Schedule to the Constitution while designing the administrative arrangements in the Panchayats at district levels in the Scheduled Areas.

**Continuance of existing laws and Panchayats.**

5. Notwithstanding anything in Part IX of the Constitution with exceptions and modifications made by this Act, any provision of any law relating to Panchayats in force in the Scheduled Areas immediately before the date on which this Act receives the assent of the President which is inconsistent with the provisions of Part IX with such exceptions and modifications shall continue to be in force until amended or repealed by a competent Legislature or other competent authority or until the expiration of one year from the date on which this Act receives the assent of the President:

Provided that all the Panchayats existing immediately before such date shall continue till the expiration of their duration unless sooner dissolved by a resolution passed to that effect by the Legislative Assembly of that State or, in the case of a State having Legislative Council, by each House of the Legislature of that State.

K.L. MOHANPURIA,
*Secy. to the Govt. of India*,

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS (PLU) MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1996.

**अनुबंध दो**

**ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2025-26)**

**समिति की शुक्रवार, 31 अक्तूबर, 2025 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश**

समिति की बैठक 1430 बजे से 1540 बजे तक समिति कमरा सं. '2', प्रथम तल, संसदीय सौध विस्तार भवन (ईपीएचए), नई दिल्ली में हुई।

**उपस्थित**

**श्री सप्तगिरी शंकर उलाका - सभापति**

**सदस्य**

**लोक सभा**

2. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे
3. श्री राजू बिष्ट
4. श्री विजय कुमार दूबे
5. डॉ. संजय जायसवाल
6. श्री भजन लाल जाटव
7. डॉ. मोहम्मद जावेद
8. श्री इमरान मसूद
9. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी
10. श्री के. राधाकृष्णन
11. श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर
12. श्री परषोत्तमभाई रूपाला
13. श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह

**राज्य सभा**

14. डॉ. एम. धनपाल
15. श्री ईरण्ण कडाडी
16. सुश्री कविता पाटीदार
17. श्री नगेन्द्र रॉय

**सचिवालय**

1. श्री डी.आर. शेखर - अपर सचिव
2. श्री वी.के. शैलोन - निदेशक
3. श्रीमती रश्मि रॉय - उप सचिव

**पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधि**

| क्र. सं. | साक्षी का नाम | पद |
|---|---|---|
| 1. | श्री विवेक भारद्वाज | सचिव |
| 2. | श्री राजेश कुमार सिंह | संयुक्त सचिव |
| 3. | सुश्री मुक्ता शेखर | संयुक्त सचिव |
| 4. | श्री विपुल उज्वल | निदेशक |
| 5. | श्री रमित मौर्य | निदेशक |

2. सर्वप्रथम, सभापति ने "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की समीक्षा" विषय के संबंध में पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त जानकारी देने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

*[तत्पश्चात पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया]*

3. प्रतिनिधियों का स्वागत करने के बाद, सभापति ने अपने स्वागत भाषण में 'पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996' के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। तदुपरांत सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों से अपना परिचय देने और इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए कहा। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने सभापति की अनुमति से संयुक्त सचिव को उपर्युक्त विषय पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण देने का निदेश दिया।

4. तदुपरांत, सदस्यों ने अपने-अपने प्रश्न पूछे। संयुक्त सचिव ने सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिए। मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि जिन प्रश्नों के तत्काल उत्तर नहीं दिए जा सके तथा जिन प्रश्नों के संबंध में विस्तृत उत्तर अपेक्षित थे, उनके लिखित उत्तर 15 दिनों के भीतर भेज दिए जाएं।

[तदुपरांत साक्षी साक्ष्य देकर चले गए]

कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

*****

**अनुबंध तीन**

## <u>ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2025-26)</u>

**समिति की मंगलवार, 20 जनवरी, 2026 को हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश**

समिति की बैठक 1500 बजे से 1635 बजे तक समिति कक्ष 'सी', भू-तल, संसदीय सौध (पीएचए), नई दिल्ली में हुई।

***उपस्थित***

**श्री सप्तगिरी शंकर उलाका -- सभापति**

**सदस्य**

**लोक सभा**

2. श्री राजू बिष्ट
3. डॉ. संजय जायसवाल
4. श्री भजन लाल जाटव
5. डॉ. मोहम्मद जावेद
6. श्री जुगल किशोर
7. श्री इमरान मसूद
8. श्री जनार्दन मिश्रा
9. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी
10. श्री परषोत्तमभाई रुपाला
11. श्री देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह
12. श्री विवेक ठाकुर

**राज्य सभा**

13. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
14. सुश्री कविता पाटीदार
15. श्रीमती राजाथी

**सचिवालय**

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्री डी.आर. शेखर | - | अपर सचिव |
| 2. श्री वी.के. शैलोन | - | निदेशक |
| 3. श्रीमती रश्मि रॉय | - | उप सचिव |

**पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधि**

| क्रम सं. | साक्षी का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री विवेक भारद्वाज | सचिव |
| 2. | श्री सुशील कुमार लोहानी | अपर सचिव |
| 3. | सुश्री मुक्ता शेखर | संयुक्त सचिव |
| 4. | श्री राजेश कुमार सिंह | निदेशक |
| 5. | श्री रमित मौर्य | निदेशक |

**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश)**

| **क्रम सं.** | **साक्षी का नाम** | **पदनाम** |
|---|---|---|
| 1. | श्री ब्योमकेश त्रिपाठी | कुलपति |
| 2. | श्री सौभाग्य रंजन पढ़ी | प्रोफेसर |
| 3. | श्री प्रसन्न कुमार समल | प्रोफेसर |

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने पंचायती राज मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) के प्रतिनिधियों से "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) अधिनियम, 1996 की समीक्षा" विषय के संबंध में जानकारी लेने के लिए बुलाई गई समिति की इस बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

*[तत्पश्चात, पंचायती राज मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) के प्रतिनिधियों को बुलाया गया]*

3. प्रतिनिधियों का स्वागत करने के पश्चात, सभापति ने अपने प्रारंभिक भाषण में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) अधिनियम, 1996 के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल दिया। तत्पश्चात, सभापति ने मंत्रालय और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों से अपना परिचय देने और इस विषय के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने सभापति से अनुमति लेने के पश्चात संयुक्त सचिव को उपर्युक्त विषय पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण देने का निदेश दिया। तत्पश्चात, आईजीएनटीयू के कुलपति ने सभापति की अनुमति से आईजीएनटीयू के प्रोफेसर को प्रस्तुतीकरण देने का निदेश दिया।

4. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण में 10 राज्यों में 'पेसा' के विस्तार, ओडिशा को छोड़कर (जहां यह अभी भी प्रारूप चरण में है) 10 राज्यों में से 9 राज्यों में पीईए नियमों को अधिसूचित किए जाने, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में 7 प्रमुख 'पेसा' विषयों के संबंध में प्रशिक्षण मॉड्यूल/मैनुअल तैयार करने तथा मुंडारी, भीली, गोंड और संथाली जैसी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में उनका अनुवाद करने पर बल दिया गया है। प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय आयोजना को प्रोत्साहित करने के लिए जीपीडीपी पोर्टल में 88 'पेसा' विशिष्ट विषयों को शामिल करना, सिंगल विंडो पेसा पोर्टल लॉन्च करना और कार्यान्वयन प्रगति की निगरानी के लिए स्टेट रैंकिंग 10 इंडिकेटर शुरू करना, विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा की अनिवार्य सहमति संबंधी एडवाइजरी, "पांचवीं अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के स्व-शासन को सुदृढ़ करने में पेसा के प्रभाव" के संबंध में शोध अध्ययन शुरू करना, पंचायती राज मंत्रालय में एक 'पेसा' प्रकोष्ठ की स्थापना करना, राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के समन्वयकों और मोबिलाइजर्स के लिए आरजीएसए के अंतर्गत समर्पित कार्यबल सहायता प्रदान करना, आईजीएनटीयू के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन, 'पेसा' कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए आरजीएसए के माध्यम से वित्तपोषण का अनुपात 60:40 (केंद्र: राज्य) जैसे कदम उठाए गए हैं।

5. जुलाई 2025 में 'पेसा' कार्यान्वयन सहायता के लिए सीओई के रूप में चिह्नित आईजीएनटीयू के प्रस्तुतीकरण में जनजातीय संस्कृति संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता, इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से आजीविका सहायता, आदिवासी विरासत को बढ़ावा देने, आदिवासी

कलाकारों को कला संबंधी सहायता, आदिवासी ज्ञान और परंपराओं को मान्यता, श्रीअन्न संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान संवर्धन जैसी सामुदायिक सशक्तीकरण पहलों के संबंध में इसके योगदान को रेखांकित किया गया। आईजीएनटीयू ने ग्राम स्तर पर 30 से अधिक मामलों के समाधान के साथ 'पेसा' से संबद्ध समितियों के माध्यम से स्थानीय विवाद निपटान के लिए सामुदायिक न्याय तंत्र को बढ़ावा देने जैसे कदमों का भी उल्लेख किया। आईजीएनटीयू ने 'पेसा' पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं और स्थानीय प्रयोक्ताओं के लिए सरलीकृत प्रशिक्षण/जागरूकता संबंधी विषय-वस्तु तैयार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अन्य 'पेसा' राज्यों में विस्तार की योजनाओं के साथ प्रारंभिक स्तर पर प्रचालन के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर बल दिया गया है।

6. साक्ष्य के दौरान, समिति के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रमुख प्रश्न निम्नवत हैं:-

i. 'पेसा' का विस्तार मौजूदा 10 राज्यों से आगे क्यों नहीं किया गया है? क्या नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है?
ii. अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने संबंधी मानदंड और प्रक्रिया तथा इसमें केंद्र/राज्य की भूमिका के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
iii. ओडिशा में 'पेसा' नियमों की अधिसूचना अभी तक लंबित क्यों है? क्या कोई समय-सीमा है?
iv. बैंकों के बावजूद, आदिवासी अभी भी साहूकारों पर निर्भर क्यों हैं और क्या 'पेसा' क्षेत्रों में जन धन/बैंकिंग सेवाएं वास्तव में सुलभ हैं?
v. ठेकेदारों/व्यापारियों द्वारा जनजातीय भूमि के अवैध विक्रय/हस्तांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसके अतिरिक्त, जनजातीय भूमि के औद्योगिक/खनन संबंधी उपयोग से किसे लाभ होता है? क्या आदिवासियों को वास्तव में आर्थिक लाभ प्राप्त होता है?
vi. क्या ग्राम सभा की बैठकों के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि निर्णय कम लोगों द्वारा न लिया जाए?
vii. ग्राम सभा सिफारिशों को कब अग्रेषित करती है? इस संबंध में अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी कौन है और बाद में इसमें कितना परिवर्तन होता है?
viii. 'पेसा' से पूर्व और उसके पश्चात इसका औसत प्रभाव क्या है? क्या इसे 'पेसा' के पश्चात जीवनशैली/शासन में हुए सुधार को दर्शाने वाले तुलनात्मक चार्ट/उदाहरणों के माध्यम से दर्शाया जा सकता है?
ix. पांचवीं अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्रों में खनन/वन डाइवर्जन/डिस्प्लेसमेंट और किए गए पुनर्वास उपायों संबंधी गत 10 वर्षों के राज्य-वार आंकड़ों की मांग की गई है।

7. तत्पश्चात्, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने समिति के प्रश्नों के उत्तर दिए। मंत्रालय और विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया कि जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जा सके तथा जिन प्रश्नों के संबंध में विस्तृत उत्तर अपेक्षित थे, उनके लिखित उत्तर 7 दिनों के भीतर भेज दिए जाएं।

*[तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए]*

कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

**अनुबंध चार**

**<u>ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति (2025-26)</u>**

**समिति की बुधवार, 8 जुलाई, 2026 को हुई छब्बीसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश से उद्धरण**

समिति की बैठक 1100 बजे से 1347 बजे तक समिति कक्ष 'सी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

***<u>उपस्थित</u>***

**श्री सप्तगिरी शंकर उलाका -- *सभापति***

**सदस्य**

**लोक सभा**

2. श्री विजय कुमार दूबे
3. श्री भजन लाल जाटव
4. डॉ. मोहम्मद जावेद
5. श्री जुगल किशोर
6. श्री नव चरण माझी
7. श्री जनार्दन मिश्रा
8. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी
9. श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर
10. श्री देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह
11. श्री गणेश सिंह
12. श्री विवेक ठाकुर

**राज्य सभा**

13. श्रीमती गीता *उर्फ* चंद्रप्रभा
14. श्री समीरुल इस्लाम
15. सुश्री कविता पाटीदार
16. श्री नगेन्द्र रॉय

**सचिवालय**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री वी. के. शैलोन | - | निदेशक |
| 2. | श्रीमती रश्मि रॉय | - | उप सचिव |

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने (i) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx; (ii) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) अधिनियम, 1996 की समीक्षा" विषय के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किए जाने और उन्हें स्वीकार किए जाने; तथा xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx बुलाई गई समिति की इस बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और चर्चा के पश्चात समिति ने बिना किसी संशोधन के इन्हें स्वीकार किया। तत्पश्चात, समिति ने माननीय सभापति को उपरोक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें संसद में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

*[xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx]*

4. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
5. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
6. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
7. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
8. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
9. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

*[xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx]*

कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

*****

---

xxxx प्रारूप प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है ।